ljnkj oYyHkHkkbZ iVsy jk"Vªh; iqfyl vdkneh

SARDAR VALLABHBHAI PATEL NATIONAL POLICE ACADEMY

¼Hkkjr ljdkj ½ x`g ea=ky;½ (**Government of India : Ministry of Home Affairs**)

gSnjkckn : **Hyderabad– 500 052.**

Inter Office Note

Sub : **Notified RRs for the post of Junior Laboratory Assistant- Reg**

A copy of notified Recruitment Rules for the post of Junior Laboratory Assistant is enclosed herewith for uploading the same in Academy website under "Recruitment Rules" column

Sd/xxx 06.05.2020

(S. Ajeetha Begum)
Assistant Director (Estt)

Assistant Director (IT)

No. 19011/01/2009/Estt/RRs/A-5/(FSc) -JLA Dated: 06.05.2020

Internal:

(i) A-1 & B-2 Sub-Sections : For taking necessary action to fill up the vacant post as per the method of recruitment and eligibility criteria prescribed in the notified Recruitment Rules.

रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-डी.एल.-सा.-28022020-216450
CG-DL-W-28022020-216450

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 07] नई दिल्ली, फरवरी 16—फरवरी 22, 2020, शनिवार / माघ 27—फाल्गुन 3,1941
No. 07] NEW DELHI, FEBRUARY 16—FEBRUARY 22, 2020, SATURDAY/MAGHA 27—PHALGUNA 3, 1941

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2020

सा.का.नि.28.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद (कैमरामैन, ज्येष्ठ प्रयोगशाला सहायक, कनिष्ठ सहायक और स्टूडियो परिचर) भर्ती नियम, 1988 को जहाँ तक उनका संबंध कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—

(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, (कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक) भर्ती नियम, 2020 है।

(ii) ये, राजपत्र में उनकें प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—पद की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं, आदि .**— भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या पत्नी जीवित है, से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति .**—जहाँ केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह कारण को लेखबद्ध कर इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु–सीमा	सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक	01* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 3 (रू.21700–69100/–)	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के मध्य । (केंद्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए आयु चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पणी 1** – आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख केन्द्र शासित प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी है।) **टिप्पणी 2** – रोजगार	**आवश्यक** – 1. राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार के बोर्ड या महाविद्यालय या राज्य या केंद्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड या महाविद्यालय से विज्ञान विषयों में इंटरमीडिएट या 10+2 उत्तीर्ण और 2. किसी भी केंद्रीय या राज्य न्यायिक प्रयोगशाला में एक वर्ष का कार्य का अनुभव । <u>**वांछनीय**</u> – कंप्यूटर में कार्यसाधक ज्ञान ।

					कार्यालय के माध्यम से भर्ती की दशा में आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी, जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति** : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती हेतु दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	**प्रतिनियुक्ति –** ऐसे प्रयोगशाला परिचर जिन्होंने स्तंभ संख्या 7 में विनिर्दिष्ट शैक्षिक अर्हता के साथ वेतन मैट्रिक्स स्तर –1(रू. 18000–56900) में छह वर्ष नियमित सेवा की हो । **टिप्पण–1** विभागीय प्रयोगशाला परिचर जिनकी वेतन मैट्रिक्स स्तर -1 (रू. 18000–56900) में छह वर्षीय नियमित सेवा है तथा प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति पर विचार के लिए निर्धारित अर्हता एवं अनुभव है, उन पर भी बाहय अभ्यर्थियों के साथ विचार किया जाएगा। यदि विभागीय अभ्यर्थी पद पर नियुक्ति हेतु चयनित होता है तो इस पद को प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा। **टिप्पण –2** केंद्रीय सरकार के उसी या अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तत्काल पहले दूसरे भूतपूर्व काडर पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति अवधि साधारणत: रूप से तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। **टिप्पण–3** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु उच्चतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख तक छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह–ग हेतु विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार हेतु के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे – 1. उप निदेशक – अध्यक्ष 2. सहायक निदेशक(वैज्ञानिक सहायता) – सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी–2 या श्रेणी 3 – सदस्य	लागू नहीं होता

[फा. सं. 23011/23/2019–पीटी]

बी. के. सिंह, अवर सचिव

568
421

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 13th February, 2020

G.S.R. 28 .—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad (Cameraman, Senior Laboratory Assistant, Junior Assistant and Studio Attendant) Recruitment Rules, 1988, in so far as they relate to the post of Junior Laboratory Assistant, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Laboratory Assistant in the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad under the Ministry of Home Affairs, namely :-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad (Junior Laboratory Assistant) Recruitment Rules, 2020.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.**— The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,-

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the said post:

   Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and that there are grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for the reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the ex-servicemen, the Other Backward class and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Junior Laboratory Assistant.	1* (2020) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-3 (Rs. 21700-69100).	Not applicable

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 to 27 years. (Relaxable for Government servants upto the age of forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note 1:** The crucial date for determining the age-limit shall be the	**Essential:** 1. Intermediate or 10 + 2 pass with Science subjects from a State or Central Government Board or College or State or Central Government recognised Board or College; and	Not applicable.	Two years for direct recruit.

closing dated for receipt of application and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram. Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of Ladakh, the Union territory of the Andaman and Nicobar Island and the Union territory of Lakshadweep. **Note 2**: In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age-limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.	2. One year working experience in any Central or State Forensic Laboratory. **Desirable:** Working knowledge of computers.		

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(10)	(11)	(12)	(13)
By deputation failing which by direct recruitment.	**Deputation:** Laboratory Attendant with six years regular service in level-1 (Rs. 18,000-56,900) of the pay matrix and possessing the qualifications specified in Column (7). **Note 1:** Departmental Laboratory Attendant with six years of regular service in level-1 in the pay matrix (Rs. 18,000 – 56,900) and having the educational qualification and experience prescribed for considering appointment on deputation basis shall also be considered along with the outsiders and in case departmental Laboratory Attendant selected for appointment, the post shall be deemed to have been filled by promotion.	**Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-** (1) Deputy Director – Chairman; (2) Assistant Director (Scientific Aids) -Member; (3) Administrative Officer Grade–II or Grade – III – Member.	Not applicable.